

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 34/2018 (प्रा0पत्र-रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

(अप्रार्थी)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 82 के तहत रेफरेन्स कार्यवाही

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

1. प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह प्रार्थना इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 278 रकबा 3 बीघा 11 किस्म गै0 मु0 तलाई जमाबन्दी सम्वत् 2015-2024 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकषिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी उक्त साबिक खसरा नम्बर की भूमि 2 से 5 वर्ष पडती राज्य सरकार दर्ज की गई। जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है। मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 77 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 278 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के हाल (नवीन) खसरा नम्बर 438 रकबा 0.49 हैक्टर बनाये गये तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2058 से 2077 में 2 वर्ष से 5 वर्ष पडती राज्य सरकार किस्म चाही तृतीय दर्ज रेकार्ड है जो अनियमित होने से खारिज होने योग्य है।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जयें नोटिस तलबी की गई।

3. पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 278 रकबा 3 बीघा 11 किस्म गै0 मु0 तलाई जमाबन्दी सम्वत् 2015-2024 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकषिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी उक्त साबिक खसरा नम्बर की भूमि 2 से 5 वर्ष पडती राज्य सरकार दर्ज की गई। जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है। मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 77 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 278 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के हाल (नवीन) खसरा नम्बर 438 रकबा 0.49 हैक्टर बनाये गये तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2058 से 2077 में 2 वर्ष से 5 वर्ष



9

